न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 43/2023(GCMS 2023/164)

श्री मुकेश कुमार एडवोकेट, जिला कलक्ट्रेट परिसर बी ब्लॉक, चेम्बर नम्बर 80, श्रीगंगानगर

बनाम

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकेश कुमार स्वयं नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2023 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2023के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. वार्ड संख्या 29 की पोस मशीन संख्या 23260 में बीपीएल, एपीएल (NFSA) व अंतोदय कार्ड कुल कितने वार्ड है।
2. 1 मई 2023 का पोस मशीन संख्या 23260 में कितने बीपीएल, एपीएल (NFSA) व अंतोदय कार्ड धारियों को वितरण किया गया, इन कार्डों की सूची सहित जिन कार्डों से वितरण किया गया है।
3. पोस मशीन संख्या 23299 का [illegible] 2017 से आवंटन बंद है व पोस मशीन संख्या 23292 का [illegible] 201[illegible] आवंटन बंद है। अगर यह अन्य मशीन में [illegible] आवंटन आदेश की प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/आरटीआई/1583 दिनांक 26.06.2023 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त **विषयान्तर्गत** लेख **है कि** आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित सूचना चाही है:

1. वार्ड संख्या 29 की पोस मशीन संख्या 23260 में बीपीएल, एपीएल (NFSA) व अंतोदय कार्ड कुल कितने वार्ड है।
2. 1 मई 2023 का पोस मशीन संख्या 23260 में कितने बीपीएल, एपीएल (NFSA) व अंतोदय कार्ड धारियों को वितरण किया गया, इन कार्डो की सूची सहित जिन कार्डों से वितरण किया गया है।
3. पोस मशीन संख्या 23293 का अप्रेल 2017 से आवंटन बंद है व पोस मशीन संख्या 23292 का अप्रैल 2017 से आवंटन बंद है। अगर यह अन्य मशीन में मर्ज की गई है तो उस आवंटन आदेश की प्रतिलिपि।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि **बिन्दु संख्या 01** की सूचना खाद्य विभाग के पब्लिक डोमेन पोर्टल food.raj.gov.in पर उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या 02 की सूचना खाद्य विभाग के पब्लिक डोमेन आनलाईन पोर्टल food.raj.gov.in पर उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या 03 की सूचना जिस प्रारूप में मांगी गई है, कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। आरटीआई की धारा 7(9) में सूचना तैयार करवाकर उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है। अतः बिन्दु संख्या 03 की सूचना दी जानी संभव नहीं है।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो** निश्चित अभिलेख के रूप में संधारित **हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2023.07.23 15:52:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना के अधिकार अधिनियम की भावनाओं को देखते हुए जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 03 की सूचना उनके कार्यालय में जिस प्रारूप में उनके पास उपलब्ध है, उसका अपीलार्थी को अवलोकन करवा देवें और उसके द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार उसे उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति [illegible] भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल [illegible] हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:20 IST
Reason: Self Attested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर